



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 981637



[9]

स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी एवं विक्रय अधिकारी बना दिया और अब प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई स्वत्व एवं अधिकार विक्रीत भूमि भूमिधरी से शेष नहीं रहा और ना होगा। उपरोक्त भूमि भूमिधरी का कतई खाली का कब्जा मौके पर प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी के सुपुर्द कर दिया है और द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी ने उपरोक्त भूमि भूमिधरी का कब्जा प्राप्त कर लिया है। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ, यह विक्रय पूर्णतया उचित, वैधानिक एवं सर्वमान्य है और प्रयोग होने योग्य है। द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी उपरोक्त भूमि भूमिधरी को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लाने तथा उसमें काश्त करने के लिये पूर्णतया अधिकारी रहेंगी। द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी अपना नाम कागजात माल में प्रथम पक्ष विक्रेतागण के नाम के स्थान पर व्यक्तिगत स्वामी के रूप में अंकित करा लेने की अधिकारी रहेंगी। यदि नाम परिवर्तन के सिलसिले में प्रथम पक्ष विक्रेता की रजामन्दी दाखिल करने या हस्ताक्षर आदि करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेतागण पूर्ण कर देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगी। प्रथम पक्ष विक्रेतागण को कोई

Shah Ali

मोहम्मद

मोहम्मद

Shah Ali

